प्रेसनोट

पिथौरागढ़–17.10.13(सूवि),

धारचूला में 21 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि वे लोकार्पण और शिलान्यास किये जाने वाले कार्यो की सूची तैयार कर उपलब्ध करायें साथ ही अतिआवश्यकी कार्यो को प्राथमिकता देते हुए उनकी सूची भी तैयार कर प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी ने शिविर कार्यालय में तैयारियों की बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक मयूख महर, विधायक धारचूला हरीश धामी तथा अध्यक्ष समाज कल्याण अनुश्रवण समित एवं विधायक गंगोलीहाट नारायण राम आर्य से भी मुख्यमंत्री के भ्रमण के सम्बन्ध में चर्चा की और कार्यो के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया। जिलाधिकारी ने जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि विभागों से चर्चा करते हुए अतिआवश्यकीय कार्यो को प्राथमिकता में रखने और पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री के दौरे में उपस्थित रहने के निर्देश दिये।

बैठक में उपस्थित विधायकों ने भी आवश्यकीय कार्यो को प्राथमिकता में लेने के साथ पूर्ण एवं प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यो के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु तैयार रखने को कहा। बैठक में आंवलाघाट पंपिंग योजना की प्रगति की समीक्षा के साथ, नगर में नवम्बर के प्रथम सप्ताह से अंतिम दिनों से हाटमिक्स प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। बैठक में अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने बताया कि जौलजीबी मेला स्थल के पुर्ननिर्माण हेतु लगभग 85 लाख तथा स्थाई पांडाल एवं अन्य सुरक्षा हेतु पृथक से आंगणन तैयार किया गया है, इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने तेजी लाने के निर्देश अधिशासी अभियंता आरईएस को दिये।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आगमन से सम्बन्धित सभी तैयारियां को समय से पूर्ण करने तथा किसी भी तरह की हीलाहवाली न करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने लोकार्पण और शिलान्यास किये जाने वाले कार्यो की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां 20 अक्टूबर तक पूर्ण कर लें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, जिला विकास अधिकारी एसएम डोभाल, अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, अधिशासी अभियंता आरईएस, अधिशासी अभियंता लोनिवि सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी

पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–18.10.13(सूवि),

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल व अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों के साथ आदिवासी, विधवा मुखिया महिला एवं शासनादेश में निहित परिवारों को चयन करने के उपरान्त अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिक परिवारों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त बात कल विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एसएम डोभाल ने कही। उन्होंने कहा कि अध्यादेश द्वारा अन्त्योदय के अतिरिक्त प्राथमिक परिवारों हेतु प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न दिये जाने का प्राविधान है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक बीपीएल राशकार्ड धारकों को भी वर्तमान की भांति 35 किग्रा. खाद्यान्न चावल–3.00 रूपये प्रति किग्रा. एवं गेहूं 2.00 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने कहा है कि सभी राशन की दुकान के स्तर पर बीपीएल कार्डधारकों की यूनिट का सत्यापन प्रभावी ढ़ंग से कराने के साथ जनपद में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हेतु पात्र प्राथमिक परिवारों का लक्ष्य और प्राथमिक परिवारों का चयन तेजी से करें। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नामित नोडल अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम को एक जुट होकर प्रभावी तरीके से पात्रों का चयन करने और किसी भी तरह की परेशानी होने या प्राथमिक परिवारों के चयन के समय किसी भी तरह के अनावश्यक दबाव हेतु पर टौल फ्री नम्बर 18001804124 या नोडल अधिकारी के मोबाइल नं. 9410134318 या जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नं. 9415255422 पर सम्पर्क करें। उन्होंने नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ग्रामसभा की खुली बैठक कर चयन की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतकर पात्र व्यक्तियों को शतप्रतिशत लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने कहा कि खुली बैठक की फोटोग्राफी भी अवश्य कर ली जाय, जिससे निष्पक्षता बनी रहे और लाभार्थियों की उपस्थित भी सुनिश्चित की जा सके।

जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि कुल शहरी जनसंख्या के 76,717 में से 52.05 प्रतिशत यानि 39931 लोगों का चयन इस योजना के अन्तर्गत किया जाना है जिसमें 2811 बीपीएल और अन्त्योदय पूर्व से ही लाभान्वित हो रहे हैं। अब इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 37120 लोगों का चयन इस योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुल ग्रामीण जनसंख्या 409276 में से 65.26 प्रतिशत यानि 267094 लोगों का चयन किया जाना है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1,51,229 लोग पूर्व से ही बीपीएल और अन्त्योदय के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं, अब बीपीएल और अन्त्योदय को 65.26 प्रतिशत में से कम कर अवशेष लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की बीपीएल सूची और मलिन बस्ती और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना हेतु बनायी गई बीपीएल सूची का भी चयन के समय संज्ञान में लिया जाय।

नोडल अधिकारी/जिला विकास अधिकारी ने कहा कि सूची के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के उपरान्त प्राप्त शिकायतों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जाय। उन्होंने कहा है कि पात्र परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा तथा किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला न होने की दशा में, पुष्टि करने के उपरान्त परिवार में वरिष्ठतम पुरूष के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा। उन्होंने कहा है कि योजना में किसी भी दशा में गलत चयन न हो और दिये गये दायित्वों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और भविष्य में किसी प्रकार की विकट स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि उपस्थित थे।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़—18.10.13(सूवि),

फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों के 01 जनवरी 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से सभी बूथों पर बूथ लेबल एजेंटों की समय से नियुक्ति करने और मतदाता सूची को शतप्रतिशत शुद्ध बनाने और प्रोक्सी वोटरों की शतप्रतिशत सुनिश्चितता व भागीदारी हेतु अपने बूथ लेबल एजेंट के माध्यम से शतप्रतिशत सहयोग करने को कहा।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी तक सर्विस मतदाता के रूप में केवल 2500 सर्विस मतदाताओं के दूरभाष ही उपलब्ध हो पाये हैं जबकि जनपद में लगभग 12632 सर्विस मतदाता हैं। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से उनके बूथ लेबल एजेंटों को सक्रिय कर उसमें सहयोग करने और जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से विशेष अनुरोध किया कि फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों के 01 जनवरी 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में उनकी भागीदारी से मतदाता सूची और प्राक्सी मतदाताओं की निर्वाचन में शतप्रतिशत भागीदारी हो सकती है इसलिए इसमें सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर और 10 नवम्बर को बूथ लेबल आफीसर गांव में जाकर मतदाता सूची को पढ़कर सुनायंगे इसलिए इसमें अपना सहयोग भी प्रदान करें।

जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि सूची में दो—दो स्थानों पर अपना व अपने परिवार का नाम दर्ज कराने वाले मतदाता के विरूद्ध कठोर और दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है। उन्होंने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि नाम संशोधन कराने, नाम हटवाने, नाम दर्ज कराने, प्रोक्सी वोटर बनाने हेतु बीएलओ को फार्म—6, फार्म—7, फार्म—8 व फार्म—13 एच उपलब्ध कराये गये हैं इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की परेशानी होने पर संबंधित बूथ लेबल आफीसर या सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित उप जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने बीएलओ को मतदाता सूची का गहराई से सत्यापन कराने और संक्षिप्त पुनरीक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही पाये जाने तथा सत्यापन में किसी भी तरह की शिकायत होने और शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर व दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शतप्रतिशत सही करना संवेदशील कार्य होने के साथ, मतदाता को मताधिकार से वंचित करना दंडनीय अपराध माना जायेगा, इसलिए बीएलओ निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची को शतप्रतिशत सही—सही तैयार करें। जिलाधिकारी ने पोलिंग स्टेशनों की सूची भी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों/बीएलओ को बैठक में दिये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, कांग्रेस के जिला महामंत्री दर्शन फुलेरिया, भाजपा जिला महामंत्री मनोज सामान्त, डीडीहाट विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, यूकेडी के निर्मल चौधरी, एनसीपी के कृष्णानंद कापड़ी आदि उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–18.10.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ ओम कुमार ने सूचित किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला जज सीपी बिजल्वाण की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने सूचित किया है कि लोक अदालत में जिला एवं तहसील मुख्यालयों में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, भरण–पोषण, पारिवारिक विवादों सहित लघु आपराधिक वादों आदि का निस्तारण सुलह समझौते एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।

उन्होंने वादकारियों से मामलों के निस्तारण हेतु जिला एवं तहसील मुख्यालयों में स्थित संबंधित न्यायालयों से संपर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र देने को कहा है।

पिथौरागढ़–18.10.13(सूवि),

उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट अनुराग आर्य ने बलवन्त सिंह पुत्र कैलाश सिंह, ग्राम सुरखाल पाठक, तहसील गंगोलीहाट को धारा 498 ए/323 ता.हि. के अंतर्गत वांछित अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि बलवन्त सिंह के बिरूद्ध धारा 82 का वारंट भी जारी किया किया गया था, लेकिन वांछित बलवन्त सिंह के यहां से बिना तामील हुए वापस आ रहा है। उन्होंने वांछित बलवन्त सिंह को सूचित किया है कि आप एक माह के अन्दर अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करते हैं तो आपकी चल–अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।